बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक : 1/PMC/विविध/205/2025-444 पटना, दिनांक-30/5/25

प्रेषक,

ई० शरद कुमार
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

सेवा में,

सभी अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता, (यांत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : जल संसाधन विभाग, बिहार अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं के मनोबल को बढ़ाने हेतु प्रशस्ति पत्र/पुरस्कार दिये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय आदेश-1/PMC/विविध/205/2025-411 दिनांक-21.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के आलोक में वर्ष 2024-25 तक आपके परिक्षेत्राधीन उत्कृष्ट कार्य करने वाले सुयोग्य अभियंताओं के नाम (आई0डी0 सं0 के सहित), उनके द्वारा किये गये कार्य, कार्य का महत्व एवं उपयोगिता उल्लेखित करते हुए संक्षिप्त विवरणी के साथ इस वर्ष के दिनांक 15 जुलाई तक अनुशंसा पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसे अतिमहत्वपूर्ण समझे।

अनु०:-यथोक्त्।

विश्वासभाजन

30/5/2025

(शरद कुमार)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक-1/PMC/विविध/205/2025-444 पटना, दिनांक-30/5/25

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/बाढ़ नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/2025

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक-1/PMC/विविध/205/2025-444 पटना, दिनांक-30/5/25

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना एवं प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को ई-मेल करने तथा विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/5/2025

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

651 (PC-2 Letter 2)

Screening के **प्रथम चरण में चयनित अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता 15 अगस्त** तक अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्राप्त की जाएगी।

vi) निगरानी स्वच्छता प्राप्त होने के उपरांत द्वितीय चरण में Screening Committee पुरस्कार हेतु अभियंताओं का चयन अंतिम रूप से करेगी।

vii) चयनित अभियंताओं को **अभियंता दिवस (15 सितम्बर)** के अवसर पर विभागीय समारोह के दौरान पुरस्कृत किया जायेगा।

पुरस्कार के रूप में दिए जाने वाले प्रशस्ति पत्र/Memento का प्रारूप योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1 द्वारा तैयार किया जाएगा।

viii) पुरस्कार समारोह की व्यवस्था (वित्तीय सहित) हेतु कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल अथवा कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

3. इस पर माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

21/05/25

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–1/PMC/विविध/205/2025 – 411 पटना, दिनांक–21/05/2025

प्रतिलिपि :– सभी अभियंता प्रमुख/ सभी मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4/बाढ़ नियंत्रण/ सिंचाई, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/05/25

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–1/PMC/विविध/205/2025 – 411 पटना, दिनांक–21/05/2025

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना एवं प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल करने तथा विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/05/25

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

(6).

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/PMC/विविध/205/2025–411 पटना, दिनांक–21/05/2025

कार्यालय आदेश

जल संसाधन विभाग, बिहार अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं के मनोबल को बढ़ाने हेतु प्रशस्ति पत्र/पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त निर्णय के आलोक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं को प्रशस्ति पत्र/पुरस्कार दिये जाने की प्रक्रिया निम्नरूपेण है :–

i) अभियंता प्रमुख, मुख्यालय द्वारा पत्र के माध्यम से प्रतिवर्ष जून माह तक सभी अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता को उनके परिक्षेत्राधीन उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं के नाम अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाएगा।

ii) उत्कृष्ट कार्य निम्नलिखित प्रकृति के अंतर्गत हो सकती है :–

क) सिंचाई उपलब्धि
ख) आवंटन vs व्यय
ग) Flood Fighting
घ) नवाचार
ड.) महत्वपूर्ण योजनाओं को ससमय पूर्ण करना
च) लम्बे समय से अवरूद्ध योजनाओं का समाधान खोजकर पूर्ण कराना
छ) अन्य कार्य, जिसे महत्वपूर्ण समझा जाए।

iii) सभी अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुशंसा पत्र में सुयोग्य अभियंताओं का नाम (आई0डी0 संख्या), उनके द्वारा किये गये कार्य, कार्य का महत्व एवं उपयोगिता उल्लेखित करते हुए संक्षित विवरणी, **15, जुलाई** तक विभाग में उपलब्ध कराया जायेगा।

इस हेतु मुख्य अभियंता स्तर पर अधीक्षण अभियंताओं एवं कार्यपालक अभियंताओं की एक समिति गठित की जायेगी।

iv) जल संसाधन विभाग, बिहार अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं को प्रशस्ति पत्र/पुरस्कार दिये जाने हेतु अभियंता प्रमुखों/मुख्य अभियंताओं द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं के कार्य उपलब्धि की समीक्षा के लिए मुख्यालय स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में एक Screening Committee का गठन किया गया है, जिसका स्वरूप निम्नरूपेण होगा :–

क्र0	पदनाम	अभियुक्ति
1.	अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
2.	अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
3.	अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
4.	मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, पटना	सदस्य सचिव

v) उक्त Screening Committee, अभियंता प्रमुखों/मुख्य अभियंताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुशंसाओं एवं उससे संबंधित सूचनाओं की पहली Screening **30 जुलाई** तक करेगी।

ok